न्यायालय अति.जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 4/18 दायरा दिनांक 29—08—2018

पीठासीन अधिकारी :— श्री हनुमान सिंह गुर्जर (आर.ए.एस.)

उनवान

महेन्द्र कुमार उम्र 35 वर्ष पुत्र श्री मदन लाल जाति गूजर निवासी जगदेवपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां — **प्रार्थी**

बनाम

1. रामनाथ उम्र 60 वर्ष पुत्र श्री सोन्या जाति सहर निवासी जेसवां तहसील किशनगंज जिला बारां।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू—राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 वास्ते निरस्त करने भू—आवंटन आदेश दिनांक 10—06—1981 बाबत् आराजी खसरा नम्बर 6/3 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा बांके ग्राम पगारा हाल जगदेवपुरा

निर्णय दिनांक 12—02—19

प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अंतर्गत्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 10—06—1981 को किये गये ग्राम पगारा हाल जगदेवपुरा के खसरा नम्बर 6/3 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना की है। उसने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि ग्राम पगारा हाल जगदेवपुरा तहसील किशनगंज में आराजी खसरा नम्बर 6/3 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा स्थित रही है जिसे आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 10—06—1981 को अप्रार्थी को गलत रूप से विधि विरूद्ध तरीके से आवंटित कर दिया गया है जबकि उक्त भूमि वक्त आवंटन खाली नहीं थी। उक्त भूमि पर प्रार्थी का काफी समय से कब्जा चला आ रहा है। आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी को उक्त आराजी आवंटन करने से पूर्व ना तो प्रार्थी को कोई सूचना दी गई और ना ही आवंटन बाबत कोई कोरम पूर्ण किया, ना आवंटन के संबंध में कोई पूर्व उद्घोषणा की गई। ना ही प्रार्थी को पक्ष रखने का कोई अवसर दिया गया। इसलिए उक्त आवंटन विधि के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। मौके पर अप्रार्थी को अभी तक कोई कब्जा दखल नहीं दिया गया है बल्कि प्रार्थी के पूर्वज उक्त आराजी को काश्त करते थे, उनकी मृत्युपरान्त प्रार्थी उस भूमि पर काबिज है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन नियमों का पालन किये बिना ही उक्त भूमि अप्रार्थी को आवंटित की गई है जो निरस्त किए जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र के अंत में उसने आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 10—06—1981 को किये गये आवंटन को निरस्त करने की प्रार्थना की है। उसके साथ उसने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम भी पेश किया जिस पर बहस सुनी गई और प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई और उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज से आवंटन रिकार्ड मांगा गया। तलबी रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी नम्बर 1 की तलबी हो गई और अप्रार्थी क्रमांक 2 को गांव में नहीं रहना बताया गया। अप्रार्थी नम्बर 2 को जर्ये रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भेजा गया जिसकी रसीद पत्रावली में भी उपलब्ध है। उसकी इत्तला को दैनिक अखबार में प्रकाशित करवाया गया जिसका विवरण पत्रावली पर उपलब्ध है। पर अप्रार्थी नम्बर 2 उपस्थित नहीं हुआ। तारीख पेशी पर उसके लिए तीन तीन आवाज पुकरवाई गई पर वह हाजिर नहीं हुआ। आवंटन पत्रावली पेश करने हेतु उपखण्ड अधिकारी को बार बार लिखा गया पर उन्होंने कोई रिकार्ड पेश नहीं किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। उसने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को दोहराया है और इस बात पर जोर दिया कि आवंटी को आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं दिया गया तथा आवंटी का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा और आज भी आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं है। उसने बहस में बताया कि लगभग 40 वर्ष तक भी आवंटी का भूमि का कब्जा नहीं होना आवंटन शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा राजस्व रिकार्ड को भी अद्यतन और वास्तविक बनाने के लिए उसके आवंटन को निरस्त कर भूमि को वापस सरकारी सिवायचक दर्ज किया जाना आवश्यक है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परीक्षण किया गया और विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर चिंतन व मनन किया गया। पत्रावली से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी आवंटी वहाँ नहीं रहता है और आवंटित भूमि पर उसका कब्जा काश्त नहीं है। आवंटित भूमि पर उसका कभी कब्जा नहीं रहा है। इस प्रकार आवंटन की महत्वपूर्ण शर्तों की पालना नहीं होने के करण अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः यह निर्णय किया जाता है कि ग्राम पगारा हाल जगदेवपुरा के खसरा नम्बर 6/3 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा का अप्रार्थी रामनाथ पुत्र श्री सोन्या जाति सहर निवासी जेसवां तहसील किशनगंज जिला बारां को दिनांक 10–06–1981 को किया गया आवंटन आवंटन की शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है। तहसीलदार किशनगंज को आदेश दिया जाता है कि उक्त भूमि को आवंटी के नाम से खारिज कर उसे पूर्ववत सरकारी सिवायचक दर्ज रिकार्ड करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)